ए.

काजी मोइनुद्दीन काजी बशीरोद्दीन और ओआरएस. बनाम.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, अपने वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय, एम. टी. डी. सी., औरंगाबाद, महाराष्ट्र और ए. एन. आर. के माध्यम से।

बी.

(सिविल अपील सं. 2022 का 7062) 30 सितंबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

सी.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।4, 6 और 18-अधिग्रहण कार्यवाही-मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला-तकनीकी दृष्टिकोण से बचा जाना-एम. टी. डी. सी.-प्रत्यर्थी सं.1 कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा 14.12.2016 पर पारित आदेश के संदर्भ में 20.01.2017 पर जमा कर दिया गया था; और 14.12.2016 दिनांकित आदेश में किसी भी न्यायालय द्वारा बदलाव नहीं किए जाने के कारण, उन्होंने गलती से रुपये की अतिरिक्त राशि जमा कर दी थी। मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के लिए 1,37,50,547/- पर 20.03.2018 और वे इसे वापस लेने के हकदार थे-हालाँकि, अपीलार्थीगण ने जोर देकर कहा कि 20182 की दीवानी अपील संख्या 1348 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.01.2018 के आदेश के संदर्भ में, 14.12.2016 दिनांकित आदेश में संशोधन किया गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत प्रतिभूति के साथ और शेष 50 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के जारी करने का निर्देश दिया था-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी No.1-MTDC को रुपये की राशि वापस लेने की अनुमति दी। 1,37,50,547/- उनके द्वारा 20.03.2018 पर जमा किया गया-सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 29.01.2018 आदेश का उद्देश्य और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 14.12.2016 आदेश पर इसका प्रभाव-आयोजितः2018 की सिविल अपील संख्या 1348 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 29.01.2018 आदेश की व्याख्या और तकनीकीताओं के बजाय इसके सार पर लागू करने की आवश्यकता है-तथ्यों पर, प्रत्यर्थी संख्या 1348 की ओर से प्रयास।1-एम. टी. डी. सी. को दिनांकित 14.12.2016 के आदेश पर बार-बार वापस आने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नं.1-एम. टी. डी. सी.-वास्तव में, प्रत्यर्थी नं.1-एम. टी. डी. सी. ने मुआवजे की राशि का शेष 50 प्रतिशत होने पर पहली बार में दिनांकित 29.01.2018 आदेश के अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव को सही ढंग से समझा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

509 ए.

510 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

आई. डी. 1 पर जमा किया गया था-उक्त राशि को वापस लेने के उनके दूसरे विचार और देर से किए गए प्रयास, जिसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है-अदालतों द्वारा और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को तकनीकी दृष्टिकोण से बचने के साथ-साथ उनके सार और सार पर समझा जाना चाहिए-इसके अलावा, जब मामला भूमि हारने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित है, यदि सभी दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के विचार को हमेशा दूसरे दृष्टिकोण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केवल तकनीकीताओं से अपनी ताकत प्राप्त कर सकता है-निर्णय/आदेश।

बी.

वाजिदमिया अब्दुल रहेमान शेख और अन्य बनाममहाराष्ट्र इंड. देव। कोर. और ओआरएस. (2014) 14 एस. सी. सी. 798

सी.

– लागू किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2014) 14 एससीसी **798** लागू हुआ

पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 7062।

डी.

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2018 से, 2017 की पहली अपील संख्या 1673 में 2018 के सिविल आवेदन No.7037 में औरंगाबाद की पीठ।

ई.

आशुतोष दुबे, अभिषेक चौधरी, सुश्री राजश्री दुबे, अमित पी. एस., एच. बी. दुबे, अश्विनी उपाध्याय, अमित कुमार, मनीष भंडारी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सुहास कदम, नीरज पाल सिंह, मेसर्स ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर्स, शिरीष के. देशपांडे, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

जी.

2. इसमें अपीलार्थीगण 2017 की प्रथम अपील सं. 1673 (2016 की प्रथम अपील सं. 37304) में प्रत्यर्थीगण हैं जो बॉम्बे में उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की पीठ में लंबित है। उन्होंने इस अपील को दिनांकित 03.12.2018 के आदेश से व्यथित होने के लिए प्राथमिकता दी है, जैसा कि उक्त अपील में 2018 के सिविल आवेदन संख्या 7037 में पारित किया गया है, जिसके तहत ए

एच.

511

उच्च न्यायालय ने आवेदक-महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ('एम. टी. डी. सी.'-प्रतिवादी संख्या 1) 1 को 5 लाख रुपये की राशि निकालने की अनुमति दी है। 1,37,50,547/-, जो उनके द्वारा मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के लिए 20.03.2018 पर जमा किया गया था।

3. संक्षेप में कहें तो उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक-एम. टी. डी. सी. का मामला यह था कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में 20.01.2017 पर जमा कर दिया गया था; और उक्त आदेश दिनांक 14.12.2016 को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने गलती से 500 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी थी। 1,37,50,547/- और वे इसे वापस लेने के हकदार थे।

बी.

सी.

3.1.दूसरी ओर, वर्तमान अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष जोर देकर कहा कि 2018 2 की सिविल अपील संख्या 1348 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में, 2 के उक्त आदेश में संशोधन किया गया क्योंकि इस न्यायालय ने मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत प्रतिभूति के साथ और शेष 50 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के जारी करने का निर्देश दिया था।3.2.दिनांक 03.12.2018 के विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने आवेदक-एम. टी. डी. सी. की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और उन्हें 20.03.2018 पर जमा की गई उपरोक्त राशि को निकालने की अनुमति दी।4. ऊपर जो संकेत दिया गया है, उसके लिए इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मूल प्रश्न इस न्यायालय के दिनांकित 29.01.2018 के आदेश का उद्देश्य और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 14.12.2016 के आदेश पर इसका प्रभाव है।मामले के पृष्ठभूमि पहलुओं को केवल उस सीमा तक संदर्भित किया जा सकता है जो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है।4.1.आई. डी. 1 पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ('1894 का अधिनियम') की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अजंता वेरुल विकास परियोजना के उद्देश्य से औरंगाबाद जिले के सिल्लोड़ तालुक के गाँव पिंपदलदारी के गुट संख्या 90 और 91 को शामिल किया गया था।इसके बाद धारा 6 के तहत अधिसूचना 21.06.2001 पर जारी की गई थी।इस प्रकार की गई अधिग्रहण कार्यवाही में, अंततः विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ('एस. एल. ए. ओ.') द्वारा 21.06.2004 पर एक पुरस्कार दिया गया।अपीलार्थीगण एस. एल. ए. ओ. द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होने के कारण, मामले को वृद्धि के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत भेजा गया।संदर्भ न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 इसके बाद, निरंतरता और एकरूपता के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को 'आवेदक-एम. टी. डी. सी.' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2 2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 19818 से बाहर निकलते हुए।

एच.

2005 का एल. ए. आर. सं. 101 और आंशिक रूप से इसकी अनुमति देते हुए, अपीलार्थीगण को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि प्रदान की गई।इस प्रकार की गई वृद्धि से व्यथित होकर, आवेदक-एम. टी. डी. सी. ने 2017 की सं. 1673 (2016 की पहली अपील सं. 37304) वाली उपरोक्त अपील को प्राथमिकता दी।

4.2.उक्त अपील में, आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदनों पर नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस शर्त के साथ पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया कि आवेदक बारह सप्ताह के भीतर अर्जित ब्याज के साथ पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत जमा करेगा।यह आदेश दिनांकित 14.12.2016, इसकी सामग्री पर, निम्नानुसार हैः-

बी.

सी.

"1. दोनों सिविल आवेदनों में प्रत्यर्थीगणओं को देरी और ठहराव के लिए नोटिस जारी करें, जो 25.01.2017 पर वापस किया जा सकता है।

2. वर्तमान अपील में आक्षेपित अधिनिर्णय का निष्पादन इस आदेश की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर अधिग्रहण निकाय द्वारा इस न्यायालय में अर्जित ब्याज के साथ आक्षेपित अधिनिर्णय के तहत राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के अधीन रहेगा।"

डी.

4.3.उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक-एम. टी. डी. सी. ने पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत उच्च न्यायालय में जमा कर दिया।इसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि की निकासी के लिए 2017 का सिविल आवेदन संख्या 3432 दायर किया। हालांकि, आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा इस तरह से दायर आवेदन पर आदेश दिया कि वे जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत निकालने के हकदार होंगे, बशर्ते कि भविष्य में ऐसा करने का निर्देश दिया जाए।शेष राशि को सावधि जमा में निवेश करने का आदेश दिया गया था।यह आदेश दिनांकित 07.06.2017, इसकी सामग्री पर, निम्नानुसार हैः-

ई.

एफ.

"1. आवेदन की आंशिक रूप से अनुमति है।आवेदकों को यह वचन देने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत निकालने की अनुमति है कि यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो आवेदक इस तरह का आदेश पारित करने के चार महीने के भीतर उक्त राशि को फिर से जमा कर देंगे।शेष राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में निश्चित जमा रसीद में शुरू में दो साल की

अवधि के लिए और यदि आवश्यक हो, तो अपील के निपटारे तक आगे की अवधि के लिए निवेश किया जाएगा।सिविल आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।”

जी.

एच.

513

काजी मोइनुद्दीन काजी बशीरोद्दीन बनाम महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

4.4.इस प्रकार, दिए गए स्तर पर, परिणामी स्थिति यह थी कि दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, संदर्भ न्यायालय द्वारा दी गई राशि का केवल 50 प्रतिशत अधिग्रहण एजेंसी द्वारा जमा किया जाना था और यहां तक कि इस राशि में से केवल 50 प्रतिशत को दावेदारों/अपीलकर्ताओं द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।इस प्रकार, वास्तव में, अपीलार्थीगण को संदर्भ न्यायालय द्वारा दी गई मुआवजे की राशि का केवल 25 प्रतिशत ही हाथ में मिलना था।4.5.उपरोक्त आदेश दिनांक 07.06.2017 के खिलाफ, दावेदारों/अपीलार्थीगण ने एस. एल. पी. के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। (ग) 2017 की सं. 19818 से 2018 की सिविल अपील सं. 1348 तक।जब उक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई, तो पक्षकारों द्वारा यह विवादित नहीं था कि इसी तरह के मामले में वाजिदमिया अब्दुल का मामला है

बी.

सी.

रहेमान शेख और ओआरएस. वी.महाराष्ट्र इंड. देव। कोर. और ओआरएस.,

2013 की सिविल अपील संख्या 8056, उच्च न्यायालय के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के भुगतान पर रोक लगाने के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया था कि मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत बिना सुरक्षा के जारी किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने पर जारी किया जाएगा।2013 की सिविल अपील संख्या 8056 (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश की प्रयोज्यता के बारे में कोई विवाद नहीं होने के कारण, वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील को भी उन्हीं शर्तों में अनुमति दी गई थी और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को संशोधित किया गया था।अपीलार्थीगण की उक्त अपील के निपटारे में इस न्यायालय द्वारा 2018 की सिविल अपील संख्या 1348 का दिनांकित आदेश, इसकी सामग्री सामग्री पर, निम्नानुसार हैः-

डी.

ई.

"पक्षकारों की विद्वान विद्वान अधिवक्ता सुनी।अनुमति दी गई यह विवादित नहीं है कि इसी तरह के मामले में वाजिदमिया हैं।

अब्दुल रहमान शेख और अन्य। बनाम महाराष्ट्र इंड। देव।

कॉर्प.& ओआरएस। (2013 का सिविल अपील सं. 8056 आदि।), बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया है कि बढ़े हुए मुआवजे का 50 प्रतिशत बिना सुरक्षा के जारी किया जाए और 50 प्रतिशत की शेष राशि सुरक्षा प्रदान करने पर जारी की जाए।

एफ.

तदनुसार, दीवानी अपील को उन्हीं शर्तों में अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को संशोधित किया जाता है।"

जी.

4.6.इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.01.2018 के उपरोक्त आदेश को पारित करने के बाद, आवेदक-एम. टी. डी. सी. ने रुपये की उक्त राशि जमा की। 20.03.2018 पर उच्च न्यायालय में 1,37,50,547/-।हालाँकि, इसके बाद, उन्होंने वापस लेने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन दायर किया

एच.

प्रस्तुतियों के साथ इस प्रकार जमा की गई राशि कि ऐसी जमा प्रति गलती की गई थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 1 के आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक-एम. टी. डी. सी. को संदर्भ न्यायालय द्वारा प्रदान की गई पूरी क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया था और दिनांक 1 के आदेश में दिए गए निर्देश केवल उस राशि के संबंध में थे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले उच्च न्यायालय में जमा की गई थी।

बी.

4.7.उच्च न्यायालय ने आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा इस प्रकार की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश को दावेदारों को संदर्भ न्यायालय द्वारा दी गई पूरी मुआवजे की राशि को वापस लेने की अनुमति के रूप में नहीं पढ़ा

जा सकता है।उच्च न्यायालय ने, इसलिए, आवेदक-एम. टी. डी. सी. को 20.03.2018 पर जमा की गई राशि को निकालने की अनुमति दी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसारः-

सी.

“4. निर्विवाद रूप से, आवेदक एम. टी. डी. सी. ने 2005 के भूमि अधिग्रहण संदर्भ संख्या 101 में द्वितीय संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, औरंगाबाद द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की।इस अपील में, एम. टी. डी. सी. ने देरी और रोक को माफ करने के लिए 2016 के सिविल आवेदन संख्या 16091 के साथ 2016 का सिविल आवेदन संख्या 16090 दायर किया।आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय द्वारा प्रदत्त मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने और उस पर उपार्जित ब्याज के साथ स्थगन आदेश पारित किया।

डी.

ई.

5. इस आदेश के पालन में, एम. टी. डी. सी. ने इस अदालत में मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि जमा की।इसके बाद मूल दावेदारों ने उक्त 50 प्रतिशत जमा मुआवजे को वापस लेने के लिए 2017 का सिविल आवेदन संख्या 3432 दायर किया।आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने दावेदारों को जमा किए गए 50 प्रतिशत मुआवजे में से 50 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति दी, बशर्ते कि भविष्य में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर वापस ली गई राशि जमा करने के लिए वचन पत्र दाखिल किया जाए।शेष राशि को सावधि जमा में निवेश करने का निर्देश दिया गया था।उस आदेश के खिलाफ, दावेदारों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2018 की सिविल अपील संख्या 1348 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और बिना सुरक्षा के बढ़े हुए मुआवजे का 50 प्रतिशत जारी किया और शेष 50 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने पर जारी किया गया।

एफ.

जी.

6. यदि उपरोक्त घटनाओं के क्रम पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29.1.2018 ए से संबंधित है।

एच.

50 अपीलार्थी एम. टी. डी. सी. द्वारा 2016 के सिविल आवेदन संख्या 16090 में 14.12.2016 पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जमा की गई प्रतिशत राशि।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29.1.2018 पर आदेश पारित होने तक, दी गई राशि में से केवल 50 प्रतिशत राशि इस न्यायालय में जमा की गई थी और पड़ी थी।यहां तक कि दिनांक 29.1.2018 के आदेश में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी एम. टी. डी. सी. को संदर्भ न्यायालय द्वारा दी गई पूरी क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया है।इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.1.2018 आदेश में दिया गया निर्देश उस राशि के संबंध में है जो इस न्यायालय में 29.1.2018 तक जमा की गई थी।यह आदेश उस राशि पर लागू नहीं होता है जिसे एम. टी. डी. सी. द्वारा 29.1.2018 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद अनजाने में 20.3.2018 पर जमा किया जाता है।इसलिए, उच्चतम न्यायालय के आदेश का लाभ उठाकर, दावेदार एम. टी. डी. सी. द्वारा जमा की गई राशि को अनजाने में वापस नहीं ले सकता है।दिनांकित 29.1.2018 आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं दिखाता है जैसा कि तर्क दिया गया है। इस प्रकार, अनजाने में जमा की गई राशि को आवेदक एम. टी. डी. सी. को वापस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह राशि इस न्यायालय के निर्देश के बिना और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बिना इस न्यायालय में जमा की गई थी।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को 2005 के भूमि अधिग्रहण संदर्भ संख्या 101 में संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए पूरे मुआवजे को वापस लेने की अनुमति के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।इसलिए, आवेदक/अपीलार्थी एम. टी. डी. सी. द्वारा रुपये की राशि निकालने के लिए आवेदन दायर किया गया है। 1,37,50,547/अनजाने में इस न्यायालय में जमा किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

7. तदनुसार, आवेदक एम. टी. डी. सी. को 20.3.2018 पर जमा की गई रु. 1,37,50,547/(Rs.One करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार पाँच सौ सैंतालीस केवल) की राशि निकालने की अनुमति है।8. सिविल आवेदन का निपटान तदनुसार किया जाता है।”

एफ.

5. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने समान मुद्दों से जुड़े समान मामलों में समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया है, जिसमें 2013 की सिविल अपील संख्या 8056 में दिनांकित 10.09.2013 के आदेश पर भरोसा किया गया है।विद्वान अधिवक्ता ने

तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण, जिन्होंने वर्ष 2001 में अपनी भूमि खो दी थी, अंततः मुआवजे की राशि केवल इस न्यायालय द्वारा 29.01.2018 पर पारित आदेशों के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

516

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा अति-तकनीकी प्रस्तुतियाँ करने की मांग की गई, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था।

5.1.अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश पर भरोसा करना गलत है क्योंकि यह केवल एक अंतर्वर्ती आदेश था और इसे इस न्यायालय द्वारा पारित 2 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था, विशेष रूप से अपीलार्थीगण को बढ़ी हुई मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के और शेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई थी।विद्वान अधिवक्ता ने इसी तरह के मामलों में पारित कई अन्य आदेशों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि जो व्यक्ति अधिग्रहण के कारण अपनी भूमि से वंचित हैं, उन्हें मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत बिना किसी प्रतिभूति के और शेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति के साथ अधिग्रहित एजेंसी द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान दिया जाना चाहिए।यही आदेश इस न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में पक्षों के बीच 29.01.2018 पर पारित किया गया था और इसके पूर्ण और व्यावहारिक प्रभाव को केवल उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के संदर्भ में कम नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 (आवेदक-एम. टी. डी. सी.) के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि इस न्यायालय में पहले जो विवाद पहुंचा था, वह केवल संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जारी करने के संबंध में था, जिसे आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा पहले ही 20.01.2017 पर जमा किया जा चुका था।यह जमा 14.12.2016 दिनांकित आदेश के अनुपालन में किया गया था, जो हमेशा चालू रहा,

क्योंकि न तो इसे चुनौती दी गई थी और न ही संशोधित किया गया था।6.1.जहां तक दिनांक 1 के आदेश का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने 2013 के सिविल अपील संख्या 8056 में पारित आदेश का पालन करते हुए तरीके और प्रभाव से केवल 50 प्रतिशत राशि को प्रतिभूति के साथ और 50 प्रतिशत राशि को बिना प्रतिभूति के जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन वर्तमान मामले में 2 के पूर्व आदेश को संशोधित किए बिना।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस अदालत के आदेश का निहितार्थ केवल यह था कि जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत प्रतिभूति के साथ और 50 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के जारी किया जाना था।यह भी तर्क दिया गया है कि हालांकि आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा आगे कोई जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भले ही ऐसी जमा राशि अपीलार्थीगण के कहने पर बहुत सावधानी से की गई हो, लेकिन अत्यधिक जमा की गई राशि को अपीलार्थीगण द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता था या प्राप्त नहीं किया जा सकता था।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण एक काल्पनिक कथा का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे जो ए के कारण बनाई गई हो सकती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

517

काजी मोइनुद्दीन काजी बशीरोद्दीन बनाम महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

आई. डी. 3 दिनांकित आदेश, लेकिन यदि उक्त आदेश को आई. डी. 2 और आई. डी. 1 दिनांकित आदेशों के साथ पढ़ा जाता है, तो तस्वीर स्पष्ट होगी कि अपीलकर्ता कुल बढ़े हुए मुआवजे की राशि का केवल 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार थे, जिसमें वे आधा प्रतिभूति प्रस्तुत करके और बाकी आधा प्रतिभूति के बिना प्राप्त कर सकते थे, लेकिन न तो आवेदक-एम. टी. डी. सी. पर मुआवजे की पूरी राशि जमा करने का कोई दायित्व था और न ही अपीलार्थीगण को आधी प्रतिभूति पर और बाकी आधा प्रतिभूति के बिना इसे वापस लेने का कोई संबंधित अधिकार था।विद्वान अधिवक्ता ने एस. एल. पी. से उत्पन्न 2020 के नायरा एनर्जी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 4102-4103 के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश पर भरोसा किया था। 2020 की (सिविल) संख्या 14215-14216 और विशेष रूप से उसमें निम्नलिखित परिच्छेदः-

बी.

सी.

“6. ....हमारी राय है कि यदि मूल दावेदारों को विद्वत संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 25 प्रतिशत, आनुपातिक ब्याज और लागत के साथ, कोई प्रतिभूति प्रस्तुत किए बिना निकालने की अनुमति दी जाती है और विद्वत संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 75 प्रतिशत, आनुपातिक लागत और ब्याज के साथ, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचयी ब्याज के साथ सावधि जमा में निवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय के अंत को पूरा करेगा और दोनों पक्षों के ब्याज का ध्यान रखेगा।”

डी.

ई.

7. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की पूरी तरह से जांच की है।

8. वर्तमान मामले की कुछ विचित्र स्थिति की उत्पत्ति इस तथ्य में हुई है कि उच्च न्यायालय ने आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा उपार्जित ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर दिनांकित आई. डी. 1 के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।आई. डी. 2 पर आवेदक-एम. टी. डी. सी. ने वास्तव में मुआवजे की राशि का उक्त 50 प्रतिशत जमा किया, लेकिन आई. डी. 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एक वचन पत्र पर उक्त जमा राशि का केवल 50 प्रतिशत (जो स्वयं मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत था) निकालने की अनुमति दी और शेष राशि को सावधि जमा में रखने का आदेश दिया गया।इस आदेश को इस न्यायालय में 2018 की सिविल अपील संख्या 1348 में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने 29.01.2018 दिनांकित आदेश पारित किया, जैसा कि पहले पुनः प्रस्तुत किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

9. पहली बार में, यह प्रतीत हो सकता है कि जब केवल उक्त आदेश (संवितरण आदेश) को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और (संवितरण आदेश) दिनांकित मूल आदेश

(केवल 50 प्रतिशत जमा की आवश्यकता वाले स्थगन आदेश) पर कोई सवाल नहीं था, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल संवितरण आदेश से संबंधित है और इस प्रकार, अपीलार्थीगण बिना प्रतिभूति के जमा राशि का 50 प्रतिशत और प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर शेष 50 प्रतिशत निकालने के हकदार होंगे।हालाँकि, आदेश 29.01.2018 और उसमें दिए गए निर्भर आदेश पर बारीकी से नज़र डालने से पूरी तरह से अलग स्थिति सामने आती है और आवेदक-एम. टी. डी. सी. की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को भी स्वीकार करना मुश्किल है कि यह न्यायालय का आदेश केवल मुआवजे की जमा राशि से संबंधित है, न कि मुआवजे की पूरी बढ़ी हुई राशि से।

बी.

सी.

10. जैसा कि देखा गया है, इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8056 में पहले के निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई विवाद उठाए बिना उक्त आदेश पारित किया गया था।

2013 का मामला, यानी वाजिदमिया अब्दुल रहमान शेख (ऊपर) का मामला।

वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील को "समान शर्तों में" अनुमति दी गई थी और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को "संशोधित" किया गया था।"समान शब्दों में" अभिव्यक्ति के निहितार्थ की सराहना करने के लिए, हम 2013 की सिविल अपील संख्या 8056 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 10.09.2013 आदेश का सार्थक रूप से उल्लेख कर सकते हैं।उक्त आदेश में, इस न्यायालय ने देरी को माफ करने और अनुमति देने के बाद, इस तथ्य पर ध्यान दिया कि संबंधित दीवानी अपीलों में दायर विभिन्न दीवानी आवेदनों में बॉम्बे में उच्च न्यायालय, औरंगाबाद में पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपीलों का निर्देश दिया गया था; और यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा की गई उचित प्रार्थना को खारिज कर दिया था, यह न्यायालय निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ाः-

डी.

ई.

एफ.

“4. एल. आई. एस. के पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थीगण द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं-"हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थीगण को दिए गए बढ़े हुए मुआवजे का 50 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के जारी किया जाएगा, जबकि 50

प्रतिशत की शेष राशि कलेक्टर की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति प्रदान करने पर उन्हें जारी की जाएगी।""

जी.

10.1.विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित कई अन्य आदेश भी अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलोकन के लिए हमारे समक्ष रखे गए हैं।उपरोक्त सभी आदेशों के माध्यम से चलने वाला सामान्य धागा यह है कि इस न्यायालय ने ए को अनुमति देने के लिए समान निर्देश जारी किए।

एच.

519

काजी मोइनुद्दीन काजी बशीरोद्दीन बनाम महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

50% बिना प्रतिभूति के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि जारी की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति देने पर जारी किया जाएगा।इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के संदर्भ को गुणा करने के बजाय, वर्तमान उद्देश्य के लिए, 2019 की सिविल अपील संख्या 8931 [एस. एल. पी. से उत्पन्न] में दिनांकित 22.11.2019 आदेश का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। (ग) 2017 का सं. 15491] जिसमें, लगभग ऐसी ही स्थिति से निपटते हुए कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के बिना और 25 प्रतिशत विलायक प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर वापस लेने की अनुमति दी थी, इस न्यायालय ने 2018 की सिविल अपील सं. 1348 में पारित आदेश का, अर्थात वर्तमान अपीलार्थीगण के मामले का, उल्लेख किया और उन्हीं शर्तों में अपील की अनुमति दी।उक्त आदेश दिनांक 22.11.2019 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः- “पक्षकारों की विद्वान विद्वान अधिवक्ता सुनी।अनुमति दी गई अपीलार्थी राज्य द्वारा पसंद की गई भूमि अधिग्रहण अपील में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर हमला करता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रतिभूति के बिना मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत और विलायक जमानत देने पर 25 प्रतिशत निकालने की अनुमति दी जाती है।

बी.

सी.

डी.

इस मुद्दे पर हमारे कई आदेशों को ध्यान में रखते हुए, 2018 की सिविल अपील संख्या 1348 में उनमें से किसी एक का संदर्भ दिया जा सकता है, जहां निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः

“यह विवादित नहीं है कि इसी तरह के मामले में वाजिदमिया अब्दुल रहेमान शेख और अन्य हैं। बनाम महाराष्ट्र इंदु।देव। कॉर्प.& ओआरएस। (2013 का सिविल अपील सं. 8056 आदि।), बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया है कि बढ़े हुए मुआवजे का 50 प्रतिशत बिना सुरक्षा के जारी किया जाए और 50 प्रतिशत की शेष राशि सुरक्षा प्रदान करने पर जारी की जाए।”

ई.

एफ.

उपरोक्त शर्तों पर दीवानी अपील की अनुमति है।”

11. जहां तक 2020 की सिविल अपील संख्या 4102-4103 में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, उसमें उच्च न्यायालय ने अधिग्रहक एजेंसी द्वारा प्रदत्त राशि का 80 प्रतिशत आनुपातिक लागत और ब्याज के साथ जमा करने की शर्त पर संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के निष्पादन पर रोक लगा दी थी और उसके बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत पांच साल की अवधि के लिए संचयी सावधि जमा में रखा जाए और दावेदारों द्वारा शेष राशि को वापस लेने की अनुमति दी जाए।उच्च न्यायालय ने दावेदारों को सावधि जमा पर अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत निकालने की भी अनुमति दी।दी गई तथ्य स्थिति और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि दावेदार इस स्थिति में नहीं थे

जी.

एच.

किसी भी प्रतिभूति को प्रस्तुत करने के लिए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष पूरी अधिनिर्धारित राशि जमा करने के लिए निर्देश जारी किए और फिर, दावेदारों द्वारा जमा की गई राशि का 25 प्रतिशत बिना प्रतिभूति के निकालने की अनुमति दी और शेष 75 प्रतिशत को पांच साल की अवधि के लिए संचयी सावधि जमा में रखने का आदेश दिया गया।उक्त मामला अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़ा और यह नहीं माना जा सकता है कि इस न्यायालय ने कोई अनम्य नियम निर्धारित किया है कि ऐसे प्रत्येक मामले में, दावेदार मुआवजे की दी गई राशि का केवल 25 प्रतिशत वापस लेने के हकदार होंगे।

बी.

12. उपरोक्त के अलावा, मामले का तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा विशिष्ट आदेश पारित किया गया है -

वाजिदमिया अब्दुल रहमान शेख के मामले में पारित आदेश

सी.

(ऊपर)।इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया था कि बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया था कि मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत बिना सुरक्षा के और शेष 50 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने पर जारी किया जाना था।भले ही प्रारंभिक स्थगन आदेश दिनांक 2 को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन दिनांक 1 का संवितरण आदेश अनिवार्य रूप से इसकी निरंतरता में था और संवितरण आदेश को चुनौती देने पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को मूल स्थगन आदेश को ही संशोधित करने से कुछ भी नहीं रोक पाया।

डी.

13. हमारे विचार में, 2018 की सिविल अपील संख्या 1348 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश की व्याख्या और तकनीकीताओं के बजाय इसके सार पर लागू करने की आवश्यकता है।इस न्यायालय का आशय

ई.

वाजिदमिया अब्दुल रहमान शेख (ऊपर) ने स्पष्ट किया था कि

बढ़े हुए मुआवजे की पूरी राशि दावेदारों तक पहुंचनी चाहिए, जबकि वे 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिभूति देने के लिए बाध्य होंगे।जब वर्तमान मामले में समान शर्तें लागू की गई थीं, तो आवेदक-एम. टी. डी. सी. की ओर से दिनांकित 14.12.2016 के आदेश पर बार-बार वापस आने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता था।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय आवेदक-एम. टी. डी. सी. की ओर से अति तकनीकी प्रस्तुतियों को स्वीकार करके इस तरह की त्रुटि में पड़ गया है। वास्तव में, आवेदक-एम. टी. डी. सी. ने पहली बार में 29.01.2018 के आदेश के अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव को सही ढंग से समझा था, जब मुआवजे की शेष 50 प्रतिशत राशि 20.03.2018 पर जमा की गई थी।उनके दूसरे विचार और उक्त राशि को निकालने के देर से किए गए प्रयास को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी।

एफ.

जी.

14. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हमें यह देखने के लिए प्रेरित किया जाता है कि न्यायालयों द्वारा और विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की आवश्यकता होती है

एच.

521

काजी मोइनुद्दीन काजी बशीरोद्दीन बनाम महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

तकनीकी दृष्टिकोण से बचते हुए उनके आधार और सार पर समझा जाना।इसके अलावा, जब मामला भूमि हारने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित है, यदि सभी दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले दृष्टिकोण को हमेशा दूसरे दृष्टिकोण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केवल तकनीकीताओं से अपनी ताकत प्राप्त कर सकता है।हम वर्तमान के लिए और कुछ नहीं कहते हैं।

बी.

15. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है; दिनांकित 03.12.2018 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और आवेदक-एम. टी. डी. सी. द्वारा मुआवजे की जमा राशि को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

सी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.